

पेश नहीं किए हैं, जो पेश करने हेतु
मौका चाहते हैं, जो अंतिम रूप से
दिया जाकर पत्रावली आड्डा 19-01-23
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर ।
(S.D.O.) सिवाना

19-01-23

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित ।
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने हेतु पर्याप्त
अवसर देने के बावजूद वकील वादीगण ने
सम्मन पेश नहीं किये हैं। इससे स्पष्ट होता
है कि वे प्रकरण की पैरवी के प्रति गंभीर
नहीं हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

